न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 75 / रा.भू.अधि. / 19 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट

बख्तावरमल के कायम मुकाम:–
1. चम्पालाल पुत्र बख्तावरमल उम्र 49 वर्ष
2. मदनलाल पुत्र बख्तावरमल उम्र 44 वर्ष
3. भुरचन्द पुत्र बख्तावरमल उम्र 43 वर्ष
जाति ओसवाल निवासी कोटड़ा हाल इन्दिरा कॉलोनी बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.राजस्थान राज्य तहसीलदार शिव जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व अतिरिक्त जिलाधीश बाड़मेर द्वारा आवेदन संख्या 33 / 1983 बअनवान तहसीलदार शिव बनाम बख्तावरमल में पारित आदेश दिनांक 23.02.1984 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री नृसिंह सोलंकी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक:– 19.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की ग्राम कोटड़ा में आवंटन नियमन परामर्शमदात्री कमेटी जो दिनांक 09.06.1968 को तत्कालीन तहसीलदार शिव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई उस मीटिंग में अन्य ग्राम वासियों, जो भूमिहीन कृषक थे, के साथ अपीलांट को ग्राम कोटड़ा के खसरा संख्या 1273 में से रकबा 75 बीघा का आवंटन हुआ है। आवंटन के 15 साल बाद गैर खातेदार से खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 988 दिनांक 20.04.1983 को खोला गया। जिसके कॉलम संख्या 14 में तत्कालीन हल्का पटवारी ने लिखा कि आराजी का लगान 2039 तक का अदा है एवं वक्त आवंटन अपीलांट भूमिहीन था साथ ही बिना मौके की स्थिति की जानकारी लिख दिया कि कब्जा काश्त नहीं है, तथा अपीलांट के विरूद्ध नियम 14(4) का प्रकरण आवंटन दिनांक 09.06.1968 को खारीज करने हेतु आवेदन उतरदाता द्वारा अतिरिक्त जिलाधीश बाड़मेर के न्यायालय में पेश किया, जिसे एक पक्षीय बिना किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत के स्वीकार कर आवंटन खारिज कर दिया। अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है अपीलाधीन आलोच्य आदेश काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन आराजी आवंटन के 15 साल बाद गैर खातेदार से खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 988 दिनांक 20.04.1983 को खोला गया। जिसके कॉलम संख्या 14 में तत्कालीन हल्का पटवारी ने लिखा कि आराजी का लगान 2039 तक का अदा है एवं वक्त आवंटन अपीलांट भूमिहीन था साथ ही बिना मौके की स्थिति की जानकारी लिख दिया कि कब्जा काश्त नहीं है, तथा अपीलांट के विरूद्ध नियम 14(4) का प्रकरण आवंटन दिनांक 09.06.1968 को खारीज करने हेतु आवेदन उतरदाता द्वारा अतिरिक्त जिलाधीश बाड़मेर के न्यायालय में पेश किया, जिसे एक पक्षीय बिना किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत के स्वीकार कर आवंटन खारिज कर दिया। इस कार्यवाही का नोटिस कभी नहीं मिला विचरण नयायालय की पत्रावली पर अपीलांट का तारीख पेशी 23.02.1984 को नोटिस उपलब्ध है जो अपीलांट के पुत्र मदनलाल पर दिनांक 04.02.1984 को तामील हुआ है परन्तु विद्यालय के रेकर्ड में जन्म तिथि 05.04.1973 अनुसार तामील के दिन मात्र 10 साल का अवयस्क बालक था अवयस्क पर कराई तामील को अपीलांट पर समुचित तामील मान कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधि की भूल की है। अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है।

राजकीय अभिभाषक ने रेस्पोडेंट की ओर से बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटगण का कब्जा नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया व विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अपीलाधीन निर्णय को यथवत रखा जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। अपीलाधीन एक पक्षीय आदेश का ज्ञान हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट की अपीलाधीन आराजी में बाधा पैदा करने पर नियम 14(4) की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 10.10.2016 का प्राप्त करने पर हुआ तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अंदर मियाद है। अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है। अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपील सुर्दीघ अविध के बाद पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी का एक–एक दिन का हिसाब पेश करना होता

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

है। अतः अपील मियाद बाहर पेश है। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा की गई देरी सदभाविक नहीं है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होते हुए भी अपील प्रस्तुति में लगभग 35 वर्ष की देरी के समुचित कारणों को Explain भी नहीं किया गया। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते हैं। चूंकि प्रकरण मे मैरिट पर भी बहस भी सुनी जा चुकी है अतः पत्रावली पर निर्णय मैरिट पर करने हेतु अग्रसर होना भी उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली में पाया कि अपीलांट पक्ष को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्यक तामील का अभाव रहा। वादग्रस्त भूमि आवंटन शुदा है परन्तु आवंटन की शर्तों के उल्लंघन में अधीनस्थ न्यायालय में दायर आवेदन स्वीकार होकर भूमि सन् 1984 में सिवायचक हो चुकी। तब से लेकर इस भूमि पर अवैध रूप से भी अपीलांटगण का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। उनके द्वारा ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है कि वे आवंटन शुदा भूमि पर काबिज है। वर्तमान में यह भूमि राज्य सरकार के द्वारा करवाये गए सर्वे के आधार पर "खनिज संभावित क्षेत्र" होने के कारण इसे राजस्व रिकॉर्ड में खनिज संभावित क्षेत्र के रूप में दर्ज किया जा चुका है जिस पर अपीलांट खातेदार हकूक पाने के अधिकारी नहीं ठहरते लिहाजा अपील स्वीकार करने योग्य नहीं है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश बाड़मेर द्वारा आवेदन संख्या 33/1983 बअनवान तहसीलदार शिव बनाम बख्तावरमल में पारित आदेश दिनांक 23.02.1984 को यथावत रखा जाता है।

19/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतसिंह बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 19.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner